हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University,Srinagar(Garhwal),Uttarakhand-246174
(A Central University)

दूरभाष (01346)-252143,252167,252170
फैक्स (01346)-252174,252247
वेबसाइट–Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक :– मान्यता/5833 | दिनांक 06-07-16

सेवा में,
प्राचार्य/निदेशक/सचिव
डा0सुशीला तिवारी कालेज ऑफ एडवांस स्टडीज
एन0एच0–73 सिकन्दरपुर, भगवानपुर, रूडकी।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 22.06.2016 और संस्थान प्रबन्धन द्वारा समिति को दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा डा0 सुशीला तिवारी कालेज ऑफ एडवांस स्टडीज, एन0एच0–73 सिकन्दरपुर, भगवानपुर रूडकी को अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार B.Ed. Batch 2016–17 में 50–50 सीट की दो यूनिट (100 सीट) के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ कि–

1. संस्थान को एन0सी0टी0ई0 के नियमानुसार सत्र 2016–17 प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित संख्या में पुस्तकें क्रय करनी होंगी।
2. संस्थान **B.Ed. Batch** 2016–17 के लिए एन0सी0टी0ई0 मानकानुसार विधिवत फैकल्टी का चयन कराकर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश देगा।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होगें:–

1. संस्थान को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. संस्थान द्वारा एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
3. संस्थान द्वारा शिक्षको को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
4. संस्थान को कुलपति महोदय एवं स्टेटयूटरी बाडी द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
5. संस्थान दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नही करेगा।
6. संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:–

1. एक माह के अर्न्तगत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपिः– 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति सचिवालय को सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

111-17